न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी का नामः—कपिल कुमार,यादव (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्याः—297/2018
हेतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
—————वादी

बनाम

1. अशोक पुत्र स्वःमुखराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 2.भूराराम 3. धन्नाराम 4.श्योपतराम 5.रामचन्द्र 6. कलावती पि.स्व.श्योकोरी पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी 17 एलएलडब्ल्यू हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 7.विनोद कुमार 8. कृष्ण लाल 9.उर्मी 10. सूची 11. विमला पि.स्व.आत्माराम पुत्र प्रेमसुख जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 12. बादूदेवी पुत्री स्व. प्रेमसुख जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 13.शकुंतला 14. बिमला 15.अनिल कुमार 16.अनिरूद्व सिह पि. भीमराज जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 15. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।
——————प्रतिवादीगण

उपस्थितः—श्री प्रदीप मोहन भाटी, एडवोकेट—वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 ,88 आर.टी.ए.

दिनांकः—10.4.2019

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदी चक 17 एल एल डब्ल्यू के खाता संख्या 99/89 खाता मुखराम वगैरा संवत 2073—2076 में पत्थर नम्बर 103/216(11) किला नम्बर 21—22 पत्थर नम्बर 103/217(23) किला नम्बर 1, 2, 9, ता 12,19, 20 पत्थर नम्बर 102/217(24)किला नम्बर 6,15,16 कुल 3.289 हैक्टर कृषि भूमि सांझा खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विवादित भूमि ग्राम हिरणावाली की कृषि भूमि है जोकि वादी के पूर्वजो हुक्माराम व अमरूराम पि.बस्तीराम के नाम व प्रेमसुख पुत्र लछमन व भीराज पुत्र अंगदराज के नाम राजस्व रिकार्ड में कुल 2074 हिस्सा दर्ज यानि 103.14बीघा दर्ज थी जोकि वरवक्त चक 25 एमएमके, 23 एमएमके व चक 17एलएलडब्ल्यू में पैमुद हुई। इस कुल 103.14 बीघा भूमि को सहकाश्तकारान के पूर्वजो ने भिन्न—भिन्न बैयनामों से 55.00 बीघा कृषि भूमि चक 25 एमएमके, 24 00बीघा कृषि भूमि चक 23 एमएमके व 12.00 बीघा कृषि भूमि चक 17 एल एल डब्ल्यू बेचान कर दी किन्तु वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का हक—हकूक व प्रतिवादी संख्या 1 जोकि वादी का भाई मुखराम के वारिस है जिनका नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज व मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादीगण का कब्जा उक्त भूमि पर नही है व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे वादी के हक—हकूक पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण 2 ता 16 का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी व अपने हक हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 5 में अभिकथन किया है कि चक 17 एल एल डब्ल्यू के पत्थर नम्बर 103/216 (11) किला नम्बर 21—22 पत्थर नम्बर 103/217 (23) किला नम्बर 9 ता 11, 20 पत्थर नम्बर 102/217 (24) किला नम्बर 6,15,16 कुल 2.277 हैक्टर भूमि पर कब्जा चला आ रहा है किन्तु खाता प्रतिवादीगण के साथ सांझा होने से सींव बट, पानी की पर्ची आदि का विवाद रहता है। इस लिए वादी मुताबिक कब्जा काश्त खाता प्रतिवादीगण से अलग कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से मुताबिक कब्जा काश्त खाता अलग करवाने

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

व नाम कलमजन करवाने निवेदन किया तो वे इन्कार हो गये। अतः वाद पत्र डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 16 का नाम कलमजन कर वादी को चक 17 एल एल डब्ल्यू के पत्थर नम्बर 103/216 (11) किला नम्बर 21–22 पत्थर नम्बर 103/217 (23) किला नम्बर 9 ता 11, 20 पत्थर नम्बर 102/217 (24) किला नम्बर 6,15,16 कुल 2.277 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार प्रतिवादीगण से खाता अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये साधारण सम्मन, रजिस्टर्ड व अखबार म समन साया करवाकर तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 विनोद कुमार द्वारा वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अशोक कुमार पर सम्मन स्वयं पर तामील है किन्तु उसने हाजिर आकर कोई जवाबदेही प्रस्तुत नही की है जोकि मृतक मुखराम का वारिस है। इसे वाद पत्र के तथ्यो पर प्रतिवादी संख्या 1 की स्वीकारोक्ति मानी जा सकती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6, 8 ता 16 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किया गया तथा प्रतिवादी सं. 17 राजपैरोकार द्वारा बार–बार अवसरो के भी जवाब स्टेट प्रस्तुत नही करने के कारण जवाबदेही बन्द की गई।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पक्ष में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 17 एल एल डब्ल्यू खाता संख्या 99/89 खाता मुखराम वगैरा ज.स. 2073–2076 प्रदर्श 1, चित्र प्रति पर्चा खतौनी विरास्तन आराजी चक 25 एम एम के, चित्र दस्तावतेज हक त्याग चित्र प्रति सावित्री वगैरा बहक अशोक कुमार प्रति संख्या 1, दस्तावेजी साक्ष्य विरास्तन आराजी ग्राम हिरनावाली खाता 7/55 जमाबंदी संवत 2011–2014 आदि पेश किये व साक्ष्य वादी में हेतराम वादी का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। वाद पत्र को कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही किये गये।

वादी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी चक 17 एल एल डब्ल्यू प्रदर्श 1 अनुसार विवादित आराजी वाद पत्र में वर्णितानुसार सांझा खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा विरास्तन आराजी है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 ता 6, 8 ता 16 हाजिर नही आये है उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ने इकबाल दावा पेश कर वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादी का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है। वादी हेतराम पुत्र हुक्माराम को चक 17 एल एल डब्ल्यू के पत्थर नम्बर 103/216 (11) किला नम्बर 21–22 पत्थर नम्बर 103/217 (23) किला नम्बर 9 ता 11, 20 पत्थर नम्बर 102/217 (24) किला नम्बर 6,15,16 कुल 2.277 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से खाता अलग कायम किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 ता 16 का नाम कलमजन किया जावे। विवादित आराजी पर बैंक ऋण यथावत रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो। खाता विभाजन स्टाम्प डयूटी पेश होने पर पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
एवं हनुमानगढ़।
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ।
पीठासीन अधिकारी:– कपिल कुमार,यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या:–297/2018

हेतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
----वादी

बनाम

1.अशोक पुत्र स्व:मुखराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 2.भूराराम 3. धन्नाराम 4.श्योपतराम 5.रामचन्द्र 6. कलावती पि.स्व.श्योकोरी पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी 17 एलएलडब्ल्यू हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 7.विनोद कुमार 8. कृष्ण लाल 9.उर्मी 10. सूची 11. विमला पि.स्व.आत्माराम पुत्र प्रेमसुख जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 12. बादूदेवी पुत्री स्व. प्रेमसुख जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 13.शकुंतला 14. बिमला 15.अनिल कुमार 16.अनिरूद्व सिह पि. भीमराज जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 15. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।
------प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए

निर्णय दिनांक:–10.4.2019

पर्चा डिक्री

वादी की ओर से श्री प्रदीप मोहन भाटी,एडवोकेट की उपस्थिति में वाद मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी का वाद पत्र वाद पत्र डिकी किया जाता है। वादी हेतराम पुत्र हुक्माराम को चक 17 एल एल डब्ल्यू के पत्थर नम्बर 103/216 (11) किला नम्बर 21–22 पत्थर नम्बर 103/217 (23) किला नम्बर 9 ता 11, 20 पत्थर नम्बर 102/217 (24) किला नम्बर 6,15,16 कुल 2.277 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से खाता अलग कायम किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 ता 16 का नाम कलमजन किया जावे। विवादित आराजी पर बैक ऋण यथावत रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करेगे।

यह डिकी आज दिनांक 10.5.19 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.08.16 16:40:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: